न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 07/2025 (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2025/101

उनवान

ग्राम पंचायत कनवास जर्ये प्रशासक/सरपंच रीना खटीक पत्नि देवेन्द्र प्रशासक/सरंपच ग्राम पंचायत कनवास,जिला कोटा

(निगराकार)

बनाम

1. ओंमप्रकाश आत्मज चतुर्भुज धाकड निवासी ग्राम कनवास,जिला कोटा।
2. पंचायत समिति सांगोद,जिला कोटा

(गैर निगराकार)

उपस्थित :– 1– श्री कृपाशंकर श्रृंगी (निगराकार)

2– श्री तेजमल जैन (गैरनिगराकार कम 1)

3– श्री अनिल शर्मा (गैरनिगराकार कम 2)

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ★ कोटा (राज.) ★ सत्यमेव जयते

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान ग्राम पंचायत राज अधिनियम 1994 विरूद्व निर्णय दिनांक 14.05.2025 पंचायत समिति सांगोद बनवान ग्राम पंचायत कनवास बनाम ओमप्रकाश

निर्णय दिनांक : 14/5/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि निगराकार के यहा ओमप्रकाश गैरनिगराकार कम 2 द्वारा उसके रहवास/कब्जा शुद्वा भूखण्ड जिस पर वह पिछलें 50 वर्षो से काबिज है पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया,इस पर निगराकार द्वारा प्रकिया अनुसार जांच कर दिनांक 20.12.2024 को भूखण्ड का पट्टा कमांक 10066 जारी कर दिया,लेकिन सहवन से पट्टें में आबादी भूमि का खसरा नं.1928 अंकित हो गया। जबकि गैरनिगराकार कम 2 उसका खसरा नम्बर 1943 था वह भूमि खेडा दोयम में वर्गीकृत थी। जिसका पट्टा जारी नही किया जा सकता था। जैसे ही इस भूमि व गलत खसरा नम्बर अंकित होने की बात ज्ञान में आई तब दिनांक 20.1.2025 को ग्राम पंचायत की बैठक में मामले को रखा गया तथा विचार के उपरान्त कोरम में उपस्थित सदस्यों ने पट्टा निरस्त करने की अनुशंसा की व प्रस्ताव पारित कर पट्टे से सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस पट्टे के निरस्त किये जाने हेतु निगराकार द्वारा पंचायत समिति को अपील प्रस्तुत की गई। पंचायत समिति ने अपने आदेश दिनांक 14.5.

अति॰ जिला कलक्टर
कोटा

2025 में यह कहकर अपील निरस्त कर दी गई कि पंचायत समिति को ग्राम पंचायत द्वारा जारी नियम विरूद्व पट्टें निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है।

गैर निगराकार को राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा किसी नियम विरूद्व पट्टा जारी करने या नियम विरूद्व कार्यवाही करने पर उसे निरस्त करने का अधिकार है। गैर निगराकार कम 1 का कब्जा खसरा नं. 1942 की खेडा दोयम भूमि पर होना पाया गया है। खेडा दोयम भूमि पर पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नही है। गैर निगराकार को जारी पटटें मे खसरा नं. 1928 सहवन से दर्ज हो गया जबकि ख.न.1928 की भूमि पर गैरनिगराकार का कब्जा नही है। गैरनिगराकार कम 2 का निर्णय पूर्णतया गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर गैरनिगराकार कम 2 का आदेश दिनांक 14.5.2025 को निरस्त कर गैर निगराकार कम 1 के पक्ष में जारी पटटा कमांक 10066 दिनांक 20.12.2024 निरस्त किया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरनिगराकार की तलबी की गई। गैरनिगराकार कम 1 की ओर अभिभाषक श्री तेजमल जैन व गैरनिगराकार कम 2 की ओर अभिभाषक श्री अनिल शर्मा उपस्थित हुए।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील निगराकार द्वारा निरागनी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि गैर निगराकार क.2 को पंचायत के पटटें की अपील सुनने का प्राधवान पंचायत राज अधिनियम के तहत है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें।

वकील गैरनिगराकार कम 2 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि पंचायत समिति द्वारा जारी निर्णय नियमानुसार किया गया है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया। अभिभाषक निगराकर के बहस एवं तर्को से न्यायालय सहमत है कि पंचायती राज अधिनियम 1996 की धारा 61 के तहत ग्राम पंचायत की अपील विकास अधिकारी को सुननें का प्रावधान होने से निगरानी स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 14.5.2025 निरस्त किया जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति सांगोद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण को प्रशासन स्थाई समिति के समक्ष रखा जाकर पंचायती राज अधिनियमों के तहत पुनः सुनवाई कर विधिसंवत निर्णय पारित करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14/5/26 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अति. जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा